

फर्द अहकाम

(नियम क)

न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार राजस्व खाजूवाला

किस्म मुकदमा:- उ.अ. धारा 22 के अन्तर्गत

मु.नं. 53/2022

सरकार बनाम

श्री शंभूजी अली शंभूजी शर्मा
केस नं. 10/2022 सी.ओ. के.ए. टाल दे

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जर्ज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
14/07/2022	<p>पटवारी हल्का कुठल से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसका अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का के रिपोर्ट के अनुसार श्री शंभूजी अली पुत्र श्री शंभूजी शर्मा जाति कुठल निवासी ने चक 10/1/2022 के मु.नं. 239/03 के किला नम्बर 2079 में तादादी 0.3/60 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड पर सम्वत् 2079 की फसल खरीफ/रबी में नाजायज काश्त जिन्स काश्त की काश्त कर रखी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जावे तथा हल्का भू. अभिलेख निरीक्षक G.P.H.M. को खड़ी फसल कुर्क करने के आदेश जारी किये जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 04/08/2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">[Signature] तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला (बीकानेर)</p>	<p>[Signature] 29.7.22 2022</p>
04/08/2022	<p>पत्रावली पेश हुई/ अप्रार्थी अनुपस्थित। नोटिस जारी किया गया जो वाद तामिल प्राप्त हुआ/ हल्का पटवारी कुठल द्वारा दिनांक 14/07/2022 को रिपोर्ट पेश की गई थी। जिस पर धारा 22 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किया जाकर पत्रावली संधारित की गई।</p> <p style="text-align: center;">[Signature] तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला (बीकानेर)</p>	<p>[QR Code]</p>

पहवारी तथा गिरदावर द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र की-14 को शामिल
 पत्रावली किया गया। पक्षकार को नोटिस जारी किया गया
 जो बाद ताम्रिस प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली रहे।
 पक्षकार द्वारा नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। न्यू-अग्रिकल्चर
 गिरीशक को फसल ग्वार, मूंगा कुर्के करने हेतु लिखा गया।
 परन्तु ILR द्वारा फर्दे कुर्के अभी तक पेशा नहीं की गई है।
 इस प्रकार अप्रार्थी ने सम्वत 2079 की फसल ग्वरीफ में चक
 10 KLD (A) के कुंज. 239/03 के किंज. 1, 10, 11, 20, 21, 22 ता 25
 में 0.3160 हेक्ट. फमाण्ड भूमि पर काश्त कर अति-चार किया है।
 जिसके फलस्वरूप भी रेशानू अभी पुत्र श्री जंगीर खां जाति
 भुसलमान निवासी हाल देह को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।
 अतिक्रमी को अतिक्रमण करने के आरोप में चक 10 KLD (A) के
 कुंज. 239/03 के किंज. 1, 10, 11, 20, 21, 22 ता 25 में 0.3160 हेक्ट.
 के सरहपड़ता लगान 6.00 रुपये प्रति हेक्टेयर के अनुसार अतिक्रमण
 के खाका 0.3160 हेक्टेयर के लगान 1.90 का 50 गुणा राशि 30 रुपये
 (अखरे रूप में ~~तीस~~ मात्र) के अर्ण ~~2000~~ देण्डा किया जाता है। अतिक्रमी से
 30 रुपये वसूलने हेतु दल्का पहवारी को लिख्य जावे तथा T.R.A. के भी
 मांग का प्रमी हेतु लिख्य जावे। अतिक्रमी को अराजीराज भूमि से ~~वेदखत~~
 किया जाकर फसल ग्वार, मूंगा को कुर्के किया जाकर फर्दे कुर्की हेतु
 पुनः लिखा जाकर पत्रावली ~~सुमार~~ की जाती है। पत्रावली R.O. दल्का
 से फर्दे कुर्की प्राप्त होने पर नीलाम की जाकर फर्दे नीलामी वास्ते
 स्वीकृति हेतु प्राप्त होने पर पेशी में ली जावे।

1/10/2018
 तहसीलदार (राजस्व)
 खाजूवाला (बीकानेर)